



निविदा शुल्क: रुपया 1000/- मात्र  
(जीएसटी सहित)

## राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना

### NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, PATNA

(A Statutory body governed by The NIFT Act 2006 Set up by the Ministry of Textiles, Govt. of India)

निफ्ट पटना में मेस / कैंटीन सेवाएँ प्रदान करनेके लिए ई निविदा (टू बिड) आमंत्रित की जाती है !

(INVITING E-TENDER (TWO BID) FOR PROVIDING CANTEEN/MESS SERVICES AT NIFT CAMPUS, PATNA)

निविदा संख्या(Tender No): निफ्ट/पटना/01/2021-22/एडमिन(NIFT/PATNA/01/2021-22/Admin)

अल्प सूचना निविदा प्रक्रिया के लिए समय सारिणी:

निविदा अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि/ Date of publication of tender notification	24.12.2021
ऑनलाइन पोर्टल खुलने की तिथि Opening date for Online Submission	24.12.2021
ऑनलाइन पोर्टल बंद होने की तिथि/ Closing date for Online Submission	03.01.2022 at 2:00 PM
निविदा डॉक्यूमेंट प्राप्त करने की अंतिम तिथि/ Last date for receipt of duly filled in tender document at NIFT Patna	03.01.2022 at 3:30 PM
निविदाओं के तकनीकी बिड खोलने की तारीख और समय/Date and time of the opening of Technical bid of tenders	04.01.2022 at 2:00 PM
निविदाओं के वित्तीय बिड खोलने की तारीख और समय/ Date and time of the opening of Financial bid of tenders	<b>To be informed to technically qualified bidders separately</b>

नोट: 1 निविदा शर्तों को ठीक से पढ़ा जा सकता है और तदनुसार निविदा भरकर संलग्न किया जा सकता है

नोट: 2 इस निविदा दस्तावेज में 27 पृष्ठ हैं और बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करें। निविदा दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में जमा की जानी चाहिए, जिस पर (i) "मेस/कैंटीन सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदा - तकनीकी बोली" और (ii) "मेस/कैंटीन सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदा - वित्तीय बोली" लिखा होना चाहिए। 2 लिफाफों को विधिवत मुहरबंद (अर्थात तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) उसके बाद तीसरे लिफाफे में रखा जाना चाहिए और सील किया जाना चाहिए। इस कवर पर "मेस/कैंटीन सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदा निविदा संख्या 01/2021-22/व्यवस्थापक" के साथ भी लिखा होना चाहिए और इसे संबोधित किया जाना चाहिए:

क्रय अधिकारी  
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान,  
निफ्ट कैंपस, मीठापुर फार्म, पटना-800001

निविदा शुल्क (वेबसाइट से डाउनलोड होने पर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना है) ईएमडी ड्राफ्ट के साथ तकनीकी बोली लिफाफे में डाला जाना चाहिए।

NIFT Campus, Mithapur Farms, Patna-800001

Ph. No.: 0612-2366834, Fax No. 0612- 2366835 Web ID: [www.nift.ac.in/Patna](http://www.nift.ac.in/Patna)

ऑनलाइन बोलियां जमा करने की प्रक्रिया:-

(क) इच्छुक फर्मों को ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए और अपनी तकनीकी और मूल्य बोलियों के समर्थन में सभी संबंधित प्रमाणपत्रों, दस्तावेजों आदि की स्कैन प्रतियों के साथ अपनी निविदा और बोलियां जमा करनी चाहिए - सभी विधिवत हस्ताक्षरित



- <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> (Central Public Procurement Portal) पर। निविदा दस्तावेज निफ्ट वेबसाइट यानी <https://nift.ac.in/patna/tenders> के "निविदा" लिंक पर भी देखने के लिए उपलब्ध हैं।

(ख) इस निविदा के लिए आवेदन केवल वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> के माध्यम से ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन के किसी अन्य तरीके पर विचार नहीं किया जाएगा और आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन केवल वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> के माध्यम से ऑनलाइन मोड के माध्यम से सबमिट करने के बाद एक फिजिकल कॉपी निफ्ट कैंपस में स्थापित निविदा बॉक्स में डालना है।

(ग) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, फर्म को भुगतान करके <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर खुद को पंजीकृत करवाना चाहिए।

(घ) फर्म को निविदा के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह कार्यों के अनुसार आवश्यकताओं का अनुपालन करती है। साथ ही, इच्छुक फर्मों को निविदा शुल्क और ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट के साथ ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन की एक हार्ड कॉपी जमा करना होगा। निर्देशानुसार हार्डकॉपी जमा नहीं करने पर निविदा आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ङ) तकनीकी बोली निफ्ट, पटना में सहायक निदेशक के कार्यालय में ऊपर वर्णित तिथि को बोलीदाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों जो उपस्थित रहना चाहते हैं की उपस्थिति में खोली जाएगी। वित्तीय बोली बाद की तारीख को खोली जाएगी जिसकी सूचना केवल उन्हीं बोलीदाताओं को दी जाएगी जो तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के बाद तकनीकी रूप से योग्य पाए जाएंगे।

(च) इच्छुक फर्मों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी निविदा जमा करने से पहले पूरे निविदा दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें और निविदा दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन प्राप्त नहीं होते हैं और/या किसी भी तरह से अपूर्ण पाए जाते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

### संस्थान के बारे में

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) की स्थापना वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1986 में की गई थी, जिसे 2006 में संसद के अधिनियम (NIFT अधिनियम 2006) के तहत फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान के प्रचार और विकास के लिए वैधानिक दर्जा दिया गया है। निफ्ट 17 केंद्रों के अपने नेटवर्क के माध्यम से देश भर में फैशन व्यवसाय शिक्षा प्रदान करता है। यह डिजाइन और प्रौद्योगिकी में स्नातक (यूजी) कार्यक्रम के तहत चार साल, डिजाइन, फैशन प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में दो साल के स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रम और फैशन के क्षेत्र में पेशेवर और छात्रों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्पकालिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करता है। निफ्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके परिसर बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर, कन्नूर, मुंबई, नई दिल्ली, पटना, रायबरेली, शिलांग, श्रीनगर और पंचकुला में स्थित हैं।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) पटना की स्थापना 2008 में हुई थी।

**नोट: निविदा शर्तों को ठीक से पढ़ा जा सकता है और तदनुसार भरे हुए निविदा और संलग्नकर जमा किए जा सकते हैं।**

### निविदा शुल्क

निविदा दस्तावेज एनआईएफटी, पटना से 1000 / - (एक हजार रुपये केवल) की निविदा लागत का भुगतान करने के बाद डीडी के माध्यम से केवल निफ्ट के पक्ष में, पटना में देय या निफ्ट वेबसाइट [www.nift.ac.in/](http://www.nift.ac.in/) से डाउनलोड किया जा सकता है। यदि निविदा निफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड की जाती है, तो तकनीकी बोली के साथ पटना में देय निफ्ट के पक्ष में डीडी के माध्यम से 1000 / - रुपये की निविदा लागत जमा की जानी चाहिए। यदि बिना निविदा लागत के निविदा प्राप्त होती है, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

### (I) काम की व्यापकता:

निफ्ट पटना अपने परिसर में मीठापुर फार्म, पटना -800001 में लड़कियों के लिए छात्रावास चला रहा है। संस्थान के निवासी छात्रों, दिन के विद्वानों, कर्मचारियों आदि को परिसर में खाद्य और पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए स्थापित कैटरर्स से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। संस्थान की कुल क्षमता लगभग है। 800 जिसमें छात्र, संकाय और कर्मचारी शामिल हैं और बोर्डर्स की संख्या औसतन 250 होगी।



समय-समय पर संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न आधिकारिक बैठकों , कार्यक्रमों, सेमिनारों और समारोहों में मेस/कैंटीन चाय/काँफी/कोल्ड ड्रिंक , नाश्ता, हाई टी , लंच/डिनर आदि भी परोस सकते हैं। इसके अलावा , संस्थान की विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में निफ्ट परिसर में आने वाले व्यक्ति भी इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।  
मेस/कैंटीन सेवाओं के मामले में, निफ्ट मेस/कैंटीन समिति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित बिल और भोजन और सेवाओं की गुणवत्ता का निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ठेकेदार को राशि जारी करेगा।  
मेस/कैंटीन ठेकेदार को निफ्ट, पटना के निवासी छात्रों को निर्धारित दरों पर नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम की चाय नाश्ते के साथ उपलब्ध कराना है। मेस/कैंटीन वर्ष के सभी दिनों के लिए खुला रहेगा।

**मेस/कैंटीन का समय निम्नानुसार होगा:**

<input type="checkbox"/>	नाश्ता:	07:30 am to 08:45 am
<input type="checkbox"/>	दोपहर का भोजन:	12:00 noon to 02:00 pm
<input type="checkbox"/>	शाम की चाय और नाश्ता:	04:00pm – 6:30 pm
<input type="checkbox"/>	रात का खाना:	7:30 pm to 9:30 p.m.

**(II). निफ्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं**

निफ्ट पटना में भोजन सुविधाओं के साथ मेस/कैंटीन सेवाओं के लिए विशेष स्थान है। किसी भी कार्य दिवस में प्रशासन विभाग को पूर्व सूचना के तहत प्रातः 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक परिसर का निरीक्षण किया जा सकता है। वास्तविक उपयोग के आधार पर बिजली का शुल्क ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। हालांकि , संस्थान द्वारा विक्रेता द्वारा भुगतान किए गए रखरखाव शुल्क के हिस्से के रूप में पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

तथापि, कच्चे माल, खाद्य सामग्री, रसोई ईंधन/गैस सिलेंडर, सफाई/धुलाई सामग्री/उपकरण/क्रॉकरी और मानव शक्ति की व्यवस्था ठेकेदार को अपने खर्च पर करनी होगी। निफ्ट ठेकेदार द्वारा नियुक्त श्रम शक्ति के लिए आवास उपलब्ध नहीं कराएगा।

निफ्ट पटना द्वारा प्रदान किया गया क्षेत्र/स्थान निम्नानुसार है::

क्रम संख्या	विवरण	क्षेत्र (वर्ग फुट में)
1	मेस का क्षेत्र	3000 वर्ग फुट लगभग

**(III) निफ्ट पटना निम्नलिखित फिटिंग के साथ रसोई प्रदान करेगा-**

क्रम संख्या	निम्नलिखित मदों के साथ रसोई सज्जित	मात्रा
		मेस
1.	रसोई क्षेत्र में चिमनी	2 सेट
2.	गैस पाइप लाइन का प्रावधान	6
3.	लाइट्स	27 सेट
4.	पंखा	21 सेट
5.	एग्जॉस्ट पंखा	2 चिमनी के साथ संलग्न
6.	जलापूर्ति	किचन में टैप
7.	वाटर फ़िल्टर	1
8.	पानी वाला कूलर	1
9.	उचित सेवा काउंटर	3x20 फीट



10.	स्लैब के साथ उचित रसोई	दो तरफ 5x25 फीट के स्लैब
11.	फ्रिज	1
12.	अग्निशामक	4
Total		

#### (IV) तकनीकी और योग्यता मानदंड

- 1,000/- रुपये का एक अलग डिमांड ड्राफ्ट गैर-वापसी योग्य निविदा शुल्क के रूप में "पटना में देय राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के पक्ष में निविदा दस्तावेज डाउनलोड होने की स्थिति में निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
- 2,00,000/- रुपये (केवल दो लाख रुपये) (अर्थात् अनुमानित राशि का 2 से 5%) का डिमांड ड्राफ्ट "राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना" के पक्ष में बयाना राशि के रूप में जमा किया जाना है। निविदा।
- जीएसटी के तहत पंजीकरण (प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए)/यदि लागू हो तो दस्तावेज की प्रति संलग्न की जाए।
- दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण और वैध लाइसेंस।
- ठेकेदार के पास मेस/कैंटीन फर्म चलाने के लिए वैध एफएसएसआई प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों में कैंटीन/मेस उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी बोली के साथ 2021 से पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी फ्रंट इंस्टीट्यूट/शैक्षणिक संगठनों में मेस/कैंटीन चलाने के लिए न्यूनतम 300 या उससे अधिक व्यक्तियों के अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- खानपान व्यवसाय में पिछले तीन वर्षों के लिए कुल 5 करोड़ रुपये ठेकेदार का टर्नओवर का होना चाहिए। (कृपया तकनीकी बोली के साथ वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के सीए ऑडिटेड बैलेंस शीट द्वारा विधिवत सत्यापित संलग्न करें)।
- पिछले तीन वर्षों (2017-18, 2018-19 और 2019-20) की आईटीआर की प्रति सीए द्वारा प्रमाणित संलग्न करें।
- अंडरटेकिंग को कभी भी सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया। / गैर सरकारी। एजेंसी निविदा दस्तावेज में दिए गए प्रारूप के अनुसार।
- ठेकेदार के पास मालिक या फर्म के नाम पर वैध पैन नंबर होना चाहिए। (तकनीकी बोली के साथ प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।
- वित्तीय बोली के मूल्यांकन के लिए पूरी जानकारी और सहायक दस्तावेजों के बिना तकनीकी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ठेकेदार को तकनीकी बोली प्रपत्र अनुलग्नक A-I भरना होगा और ऊपर उल्लिखित सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
- सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरे जाने चाहिए।
- MSME एजेंसी को नियमानुसार छुट दी जाएगी।

#### (V) वित्तीय बोलियों की शर्तें:

- तकनीकी बोली के मूल्यांकन के बाद सूचीबद्ध बोलीदाताओं में से सबसे कम -1 का निर्णय वित्तीय बोली में दी गई दरों के आधार पर निविदा को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- एक से अधिक एल-1 विक्रेताओं के मामले में, अनुबंध के आवंटन का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुभव, विश्वसनीयता और उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य मानदंडों के आधार पर किया जाएगा।
- वित्तीय बोली में किसी प्रकार की गणना एवं कुल त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो सक्षम प्राधिकारी के पास बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण विवेक होगा। यदि सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो कुल योग मनोनीत समिति द्वारा किया जाएगा।



4. 5% वार्षिक वेतन वृद्धि पर पहले वर्ष के पूरा होने के बाद और दूसरे वर्ष के पूरा होने के बाद 5% मूल्य बोली पर विचार किया जाएगा (उदाहरण के लिए, यदि पहले वर्ष की अनुबंध राशि 100 रुपये है, तो दूसरे वर्ष की अनुबंध राशि 105 रुपये होगी और में तृतीय वर्ष अनुबंध राशि 110.25 रुपये होगी)।

#### (VI) ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली गुणवत्ता और स्वच्छता

1. ठेकेदार द्वारा मेस में बेचे जाने वाले सभी खाद्य और अन्य सामान की खरीद या आपूर्ति अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए और संस्थान द्वारा गठित कैंटीन / मेस समिति की संतुष्टि के अनुसार होनी चाहिए। कैंटीन / मेस समिति को खाना पकाने के लिए आपूर्ति / उपयोग की जाने वाली सामग्री के किसी भी ब्रांड को बदलने का अधिकार होगा , यदि वे खिलाते हैं कि सामग्री / ब्रांड घटिया है और उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है।
2. भोजन को स्वच्छ परिस्थितियों में पकाया , भंडारित और परोसा जाएगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि केवल ताजा पका हुआ भोजन ही परोसा जाए और बासी का पुनर्चक्रण न हो। मेस परिसर से बासी भोजन को यथाशीघ्र हटाया जाए। बिना प्रशीतित पका हुआ भोजन , जो गर्मी के महीनों में तीन घंटे के भीतर और सर्दियों के महीनों में छह घंटे के भीतर नहीं खाया जाता है, उसे बासी और उपभोग के लिए अनुपयुक्त माना जाएगा।
3. भोजन की तैयारी पौष्टिक होगी और आम तौर पर छात्रों / कर्मचारियों / के स्वाद को पूरा करेगी।
4. दिन के अंत में डीप फ्राई करने से जो तेल बचता है , उसका निपटान करना होगा और इसे दोबारा पकाने के उद्देश्य से रिसाइकिल नहीं किया जाएगा।
5. भोजन को साफ बर्तनों में पकाया और परोसा जाना चाहिए और इस संबंध में किसी भी तरह की ढिलाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. बर्तनों को हमेशा जगमगाते हुए साफ रखना चाहिए।
7. किसी भी वस्तु को परोसने से पहले प्रत्येक सुबह सभी बर्तनों को कीटाणुरहित कर देना चाहिए।
8. ठेकेदार को मेस को हर समय साफ सुथरा रखने के लिए विशेष ध्यान देना होगा। इस प्रयोजन के लिए ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से प्रत्येक भोजन के बाद मेस की अच्छी तरह से सफाई की जाएगी।
9. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि छात्रों/कर्मचारियों को केवल गर्म भोजन ही परोसा जाए। इस संबंध में शिकायत , यदि कोई हो, को गंभीरता से लिया जाएगा।
10. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि मेस की संपत्ति और परिसर की सफाई , धुलाई और समग्र रखरखाव सहित प्रत्येक भोजन की तैयारी और परोसने के समय पर्याप्त मानव शक्ति तैनात की जाए। ठेकेदार निफ्ट अधिकारियों के लिए उचित कक्ष सेवाएं भी सुनिश्चित करेगा।
11. अनुबंध बी-1 में सूचीबद्ध वस्तुओं के लिए ठेकेदार को निविदा को अंतिम रूप देने पर निर्धारित दरों पर वस्तुओं की आपूर्ति करनी चाहिए।
12. अनुमोदित दर सूची को निफ्ट मेस में भी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
13. ठेकेदार को अनुबंध 'ए-III' में सूचीबद्ध कच्चे माल के ब्रांड का भी पालन करना चाहिए।

#### (VII) सामान्य नियम और शर्तें -

1. ठेकेदार इस निविदा में उल्लिखित नियम व शर्तों को स्वीकार करेगा।
2. अनुबंध शुरू होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा। अनुबंध के नियम और शर्तों पर वार्षिक आधार पर (1+1 वर्ष से 3 वर्ष तक) बढ़ाया जा सकता है। जिसके अधिकार निफ्ट के पास सुरक्षित हैं। विस्तार अनुबंध के संतोषजनक प्रदर्शन पर आधारित होगा। एक बार प्रदान किया गया अनुबंध एक महीने का नोटिस देकर किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त किया जा सकता है। फिर भी , यदि फर्म अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करती है , तो निफ्ट बिना किसी नोटिस के फर्म के अनुबंध को समाप्त कर सकता है। अनुबंध के नियम और शर्तों के उल्लंघन के सन्दर्भ में निफ्ट का निर्णय अंतिम होगा और फर्म द्वारा बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया जाएगा।
3. ठेकेदार को प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में निफ्ट पटना के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से रखरखाव शुल्क के लिए लागू दरों के अनुसार 20,000/- (बीस हजार रुपये मात्र) + जीएसटी का भुगतान करना होगा। लगातार तीन महीने तक ठेकेदार द्वारा भुगतान किए जाने वाले रखरखाव शुल्क / बिजली बिल या किसी अन्य शुल्क का भुगतान करने में विफलता के



- परिणामस्वरूप निफ्ट पटना द्वारा अनुबंध समाप्त किया जा सकता है और भविष्य की निविदा प्रक्रिया से विक्रेता की काली सूची बनाई जा सकती है। साथ ही जमानत राशि भी जब्त या समायोजित कर ली जाएगी।
4. ठेकेदार को संस्थान को वास्तविक आधार पर बिजली शुल्क का भुगतान करना होगा , जिसके लिए उप-मीटर स्थापित किए जाएंगे। संस्थान को बिजली खपत के लिए प्राप्त कुल बिलों में से , ठेकेदार द्वारा खपत की गई इकाइयों के संबंध में राशि का भुगतान उसके द्वारा संस्थान को परिसर द्वारा खपत की गई इकाई की औसत दर के अनुसार किया जाएगा।
  5. इस बोली में उद्धृत दरें निफ्ट मेस में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के लिए होंगी, ठेकेदार को निफ्ट से पूर्व लिखित अनुमति के बिना मेस से आवश्यक वस्तुओं को कम करने की अनुमति नहीं होगी। निर्दिष्ट लागत पर किसी भी वस्तु की आपूर्ति करने में विफलता को अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई को आमंत्रित किया जाएगा।
  6. पैकेज्ड सामान एमआरपी से ज्यादा नहीं बेचा जाना चाहिए। यदि कोई बोलीदाता अधिक राशि उद्धृत कर रहा है , तो निर्धारित दरें मान्य होंगी।
  7. इसके अलावा, विक्रेता प्लास्टिक के उपयोग से बचने के लिए पुनः प्रयोज्य / पुनः प्रयोज्य प्लेट और कप का उपयोग करेंगे।
  8. मेस में विक्रय की जाने वाली वस्तुएँ अनुमोदित सूची के अनुसार होनी चाहिए।
  9. निविदाकार को डी.डी. तकनीकी बोली के साथ बयाना राशि जमा की जाती है जो असफल बोलीदाताओं को वापस की जाएगी लेकिन ब्याज रहित होगी। निविदाकर्ता को सभी निविदा शर्तों के लिए विशेष रूप से सहमति देते हुए एक अंडरटेकिंग भी देनी होगी जिसमें विफल रहने पर उसकी वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी।
  10. राष्ट्रीय फैशन प्रोद्योगिकी संस्थान, पटना के पास बिना कोई कारण बताए आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार करने या किसी भी या अधिक कोटेशन को अस्वीकार करने या निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध के पुरस्कार से पहले किसी भी समय बिना किसी खर्च के सभी कोटेशन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाता (ओं) के लिए कोई भी दायित्व, जो भी हो और न्यूनतम मूल्यांकन बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि वाणिज्यिक बोली के अलावा कई कारकों को देय भार दिया जाएगा और उस प्रभाव के लिए निफ्ट का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
  11. निविदा केवल आधिकारिक निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत की जाएगी , यदि किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत की जाती है तो उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। किसी भी निविदाकार को एक से अधिक निविदा प्रपत्र जारी नहीं किये जायेंगे।
  12. मेस सेवाओं को प्रदान करने के लिए मेनू आदि को सूचीबद्ध करने वाली निविदा के रूप में जारी कार्यक्रम, निविदाकर्ता द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। निविदाकर्ता द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले दर अनुसूचियों में कोई भी संशोधन/परिवर्तन निविदा के साथ अलग पत्र में होना चाहिए।
  13. निविदा से कोई कागज अलग नहीं किया जाएगा।
  14. प्रदान किए गए स्थान में निविदाकार का नाम और पता रबर स्टैप के साथ स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए और निविदा के किसी भी हिस्से में तब तक ओवरराइटिंग , सुधार, सम्मिलन की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि निविदाकर्ता द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षर न किया जाए। निविदा को यहां निर्धारित निर्देशों के अनुसार पूर्ण रूप से भरा और जमा किया जाना चाहिए अन्यथा निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।
  15. यदि निविदा में पूरी जानकारी नहीं दी जाती है या निविदा की अनुसूची में मांगे गए विवरण और डेटा (यदि कोई हो) नहीं भरे जाते हैं तो निविदा को अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
  16. निविदा या निविदा से जुड़े अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को यह निर्दिष्ट करना होगा कि क्या वह इस प्रकार हस्ताक्षर करता है:
    - (क) संस्था का एकमात्र मालिक या ऐसे एकमात्र मालिक का गठित वकील।
    - (ख) फर्म का एक भागीदार यदि वह एक साझेदारी फर्म है , तो ऐसे मामले में उसके पास फर्म की ओर से साझेदारी समझौते के आधार पर या फर्मों के भागीदारों द्वारा विधिवत निष्पादित मुख्तारनामा द्वारा अनुबंध निष्पादित करने का अधिकार होना चाहिए।
    - (ग) कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत निदेशक या प्रधान अधिकारी।
  17. उपरोक्त 16 के मामले में, साझेदारी विलेख या सामान्य मुख्तारनामा की एक प्रति, किसी भी मामले में नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित या स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए या साझेदारी के निष्पादन को स्वीकार करने वाले सभी भागीदारों द्वारा विधिवत शपथ ली या पुष्टि की जानी चाहिए। समझौता या अटॉर्नी की सामान्य शक्ति प्रस्तुत की जानी चाहिए। निविदा के साथ फर्म के प्रमाण पत्र या पंजीकरण की सत्यापित प्रति संलग्न की जानी चाहिए। साझेदारी फर्म



- के मामले में, जहां साझेदारी के व्यवसाय से संबंधित विवाद को संदर्भित करने का कोई अधिकार किसी भी भागीदार को प्रदान नहीं किया गया है, निविदा और अन्य सभी संबंधित दस्तावेजों पर फर्म के सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। ऊपर 16 (सी) के मामले में निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को निदेशक मंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए और प्रधान अधिकारी द्वारा सत्यापित संकल्प की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
18. 2, 00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) रुपये का डिमांड ड्राफ्ट निविदा के साथ "राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना" के पक्ष में बयाना राशि के रूप में जमा करना आवश्यक है। सफल निविदाकर्ता की बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी यदि निविदाकर्ता।
- (क) निविदा प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले वापस ले लेता है।
- (ख) अनुबंध को स्वीकार करने में विफल रहता है, यदि उसकी निविदा निफ्ट पटना द्वारा स्वीकार कर ली जाती है
- (ग) निर्धारित समय सीमा के भीतर जमानत राशि जमा करने में विफल।
- (घ) अनुबंध प्रदान करने वाले पत्र की प्राप्ति के 10 (दस) दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र में समझौते को निष्पादित करने में विफल रहता है।
- (ङ) अनुबंध प्रदान करने वाले पत्र की प्राप्ति या निफ्ट द्वारा निर्दिष्ट तिथि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर मेस सेवा शुरू करने में विफल रहता है।
19. सफल निविदाकार को केवल रु. के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमानत राशि जमा करनी होगी। 5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र) " राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना " (NIFT, Patna) के पक्ष में वापसी योग्य। इस जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यह ठेका सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद और ठेकेदार की बकाया राशि को समायोजित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।
20. सफल निविदाकर्ता की ईएमडी को अनुरोध पर सुरक्षा जमा के एक भाग के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और असफल निविदाकार की ईएमडी अनुबंध के पुरस्कार के 30 वें दिन या उससे पहले बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
21. विलंबित निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। निफ्ट बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
22. टेलीग्राफिक/फैक्स या सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
23. अनुबंध के दौरान मेस सेवाओं को जारी रखने के लिए ठेकेदार द्वारा गैस सिलेंडर (वाणिज्यिक) की व्यवस्था की जाएगी , इसके लिए निफ्ट द्वारा कोई अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।
24. निफ्ट का निर्णय कि उल्लंघन हुआ है, अंतिम होगा और ठेकेदार द्वारा बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया जाएगा।
25. यदि अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय , निफ्ट के जानकारी में यह आता है कि एजेंसी ने गलत/झूठी जानकारी देकर निफ्ट को गुमराह किया है, जो उसे अनुबंध प्रदान करने में महत्वपूर्ण रही है, अनुबंध अन्य कानूनी कार्रवाई के अलावा समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगा जो एजेंसी या मालिक / भागीदारों / निदेशकों या कानून के तहत एजेंसी के मामलों के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शुरू की जा सकती है।
26. ठेकेदार को निफ्ट परिसर में काम करने वाले श्रमिकों की एक सूची प्रदान करनी होगी और उनके बारे में पूरी जानकारी प्रदान करनी होगी। ठेकेदार निफ्ट परिसर में काम करने वाले अपने सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन और मेडिकल रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएगा।
27. अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय ठेकेदार को एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा जो यह दर्शाता है कि ठेकेदार के सभी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है।
28. तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जाएगी।
29. ठेकेदार को समय-समय पर संस्थान की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आयोजनों/कार्यक्रमों के दौरान वास्तविक पर अतिरिक्त भुगतान के बदले खाद्य पदार्थ/जलपान परोसना पड़ सकता है।
30. ठेकेदार श्रम कानूनों (ईएसआई, पीएफ, बोनस, आयकर, जीएसटी या सरकार द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य अतिरिक्त कर) कंपनी अधिनियम , कर कटौती देनदारियों , अपने कर्मचारियों के कल्याण उपायों और सभी सहित भूमि के सभी कानूनों का पालन करेगा। इस क्षेत्र के अन्य वैधानिक दायित्व और वे कानून भी जो अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध और परिभाषित नहीं हैं। बाद के चरण में ऐसा कोई भी दावा ठेकेदार की विशेष जिम्मेदारी होगी और इसमें किसी भी तरह से निफ्ट को शामिल नहीं किया जाएगा।



31. ठेकेदार अर्धवार्षिक आधार पर एक चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि भोजन संभालने वाले उसके सभी कर्मचारियों को कोई छूत की बीमारी नहीं है।
32. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी हर समय साफ-सुथरे और साफ कपड़े और एप्रन का इस्तेमाल करते हैं। ठेकेदार द्वारा इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी को निर्धारित वर्दी पहननी होगी। उक्त वर्दी ठेकेदार द्वारा अपने खर्चे पर उपलब्ध कराई जाएगी। मेस कर्मचारी काम के घंटों के दौरान निफ्ट, पटना केंद्र द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र को वहन करेंगे।
33. ठेकेदार को अपने कर्मचारियों को रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक किसी भी दिन बीच निफ्ट कैंटीन के अंदर रखने की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन कैंटीन के अंदर रह सकते हैं।
34. कैंटीन सुबह 7:30 बजे से खुली रहेगी। 09:30 अपराह्न तक सोमवार से रविवार तक (स्थानीय/राष्ट्रीय अवकाश सहित) सभी कार्य दिवसों में। तथापि, अत्यावश्यकताओं के आधार पर, ठेकेदार को निफ्ट की आवश्यकता के अनुसार मेस को खुला या बंद रखना पड़ सकता है।
35. ठेकेदार मेस और रसोई के लिए निर्धारित स्थान पर कब्जा करेगा और बगल के बरामदे और खुले स्थान पर कब्जा नहीं करेगा।
36. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी परिसर में इधर-उधर न घूमें। ठेकेदार के कर्मचारियों के कारण निफ्ट को किसी प्रकार की हानि होने की स्थिति में ठेकेदार जिम्मेदार होगा।
37. निफ्ट के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह ठेकेदार को बिना कोई कारण बताए या नोटिस दिए ठेकेदार द्वारा तैनात किसी भी व्यक्ति को हटाने का निर्देश दे सकता है।
38. ठेकेदार रसोई और मेस में साफ-सफाई, साफ-सफाई और साफ-सफाई के उच्च स्तर को सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार सभी खाद्य पदार्थों को मक्खियों और कीड़ों से मुक्त शोकेस में ढककर रखने की व्यवस्था करेगा। कचरे के उचित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार द्वारा पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाएंगे। मेस के भीतर किसी भी प्रकार का अनुपयोगी भोजन या अन्य कोई वस्तु कूड़ा नहीं होनी चाहिए। ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि निफ्ट परिसर में इस्तेमाल किए गए बर्तन जैसे कप, प्लेट नहीं पड़े हैं तुरंत और बार-बार हटाया जाना चाहिए।
39. ठेकेदार प्रतिदिन भोजन के बाद मेस परिसर से मेस का कचरा हटाना सुनिश्चित करेगा। हालांकि, कचरे को निपटान के लिए बाहर ले जाने से पहले, सुरक्षा पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए इसे भौतिक रूप से जांचना होगा कि निपटान की जा रही सामग्री में कोई उपयोगी वस्तु नहीं है।
40. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि खाना पकाते समय रसोइयों के पास उचित दाढ़ी और कटे हुए नाखून हों और उन्हें एप्रन और हेड गियर पहनना चाहिए।
41. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि पका हुआ और कच्चा भोजन ठीक से संग्रहीत है और कोई बासी भोजन नहीं परोसा जाता है। किसी भी खाद्य विषाक्तता के मामले में, ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और कानूनी कार्रवाई के अलावा दंडित किया जाएगा।
42. ठेकेदार को मेस में बिकने वाली सभी खाद्य सामग्री, शीतल पेय, चाय, कॉफी और जूस आदि की रेट लिस्ट और मेस में मेन्यू प्रदर्शित करना होगा।
43. ठेकेदार के पास एक निश्चित समय में कम से कम 600 व्यक्तियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपकरण और क्राँकरी और अन्य सामान होना चाहिए। उसके पास सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त बर्तन, क्राँकरी और अन्य बुनियादी ढांचा होना चाहिए और जब भी आवश्यक हो बुफे लंच/हाई टी/डिनर के लिए भी।
44. मेस चलाते समय ठेकेदार को सभी सुरक्षा उपाय (आग सहित) करना चाहिए। वह मेस में काम करने के लिए तैनात व्यक्तियों के लिए एक प्राथमिक चिकित्सा पेटी रखेंगे।
45. ठेकेदार नाबालिग/बाल श्रमिकों को मेस कार्य के लिए तैनात नहीं करेगा।
46. निफ्ट, ठेकेदार के बिलों से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-सी के तहत स्रोत पर आयकर की कटौती करेगा।
47. कैंटीन/मेस समिति के सदस्य समय-समय पर भोजन आदि की तैयारी का निरीक्षण कर सकते हैं।
48. छात्रों, कर्मचारियों, कर्मचारियों और अन्य को क्रेडिट बिक्री, नुकसान या चोरी के लिए निफ्ट द्वारा कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी।





49. निफ्ट में रोजगार या अन्यथा अवशोषण का दावा करने के लिए ठेकेदार के श्रमिकों में कोई कानूनी अधिकार निहित नहीं होगा, और न ही ठेकेदार के श्रमिकों को लाभ और/या परिलब्धियों का दावा करने का कोई अधिकार होगा जो कि निफ्ट के कर्मचारियों को अनुमत या भुगतान किया जा सकता है। श्रमिक ठेकेदार के कर्मचारी बने रहेंगे और यह ठेकेदार की एकमात्र जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह अपने कर्मचारियों को निफ्ट में काम करने के लिए नियुक्त करने से पहले उन्हें यह स्पष्ट कर दे।
50. ठेकेदार किसी उप-ठेकेदार की सेवाएं नहीं लेगा या किसी अन्य व्यक्ति को अनुबंध हस्तांतरित नहीं करेगा। यदि , किसी भी समय यह पाया जाता है कि ठेकेदार मेस सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है और उसने किसी अन्य पार्टी को अनुबंधित किया है, तो निफ्ट को अनुबंध को समाप्त करने और सभी सुरक्षा जमा को जब्त करने का अधिकार है।
51. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्मों के बारे में यह माना जाएगा कि उन्होंने सभी नियम एवं शर्तों को पढ़ लिया है और स्वीकार कर लिया है। निविदा की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में किसी भी मौखिक या लिखित पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता एक अलग शीट में भागीदारों/निदेशकों आदि के विवरण का खुलासा करेगा जो तकनीकी बोली के साथ संलग्न होगा।
52. बोलीदाता को उस स्थान के साथ फर्म/फर्मों के नाम का उल्लेख करना चाहिए जहां वे वर्तमान में उनके साथ व्यापार कर रहे हैं और जिसे निफ्ट के अधिकारियों द्वारा देखा जा सकता है। ऐसे संगठन/संगठनों द्वारा जारी संतोषजनक रिपोर्ट बोली के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
53. संस्थान की किसी भी संपत्ति को ठेकेदार, उसके एजेंटों या कर्मचारियों या श्रमिकों के किसी भी कार्य या चूक के कारण होने वाली सभी क्षति / हानि की भरपाई ठेकेदार द्वारा की जाएगी। निफ्ट के पास ठेकेदार से खर्चें वसूल कर नुकसान या हानि की भरपाई करने का विकल्प सुरक्षित है।
54. अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के मामले में, ठेकेदार की जमानत राशि जब्त की जा सकती है।
55. अनुबंध के किसी अन्य खंड के तहत अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना , निफ्ट ठेकेदार की ओर से शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध को रद्द कर सकता है और इस तरह के रद्दीकरण से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार को चार्ज कर सकता है।
56. अनुबंध से उत्पन्न विवाद , यदि कोई हो , भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम , 1996 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार पटना में निदेशक, निफ्ट द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ द्वारा आपसी चर्चा या मध्यस्थता द्वारा सुलझाया जाएगा। नियुक्त किए गए किसी भी मध्यस्थ को किसी भी अंतरिम पुरस्कार को पारित करने का अधिकार नहीं होगा, या किसी भी पक्ष को देय पुरस्कार राशि या राशि पर 8% से अधिक ब्याज देने का अधिकार नहीं होगा।
57. सभी कानूनी विवाद केवल पटना, बिहार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।
58. ठेकेदार निफ्ट पटना के प्रशासन विभाग को मेस कर्मियों के किसी भी परिवर्तन , यदि आवश्यक हो , उनके पुलिस सत्यापन और चिकित्सा रिपोर्ट के साथ सूचित करेगा।
59. ठेकेदार को निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न विधिवत हस्ताक्षरित वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।
60. ठेकेदार द्वारा किसी भी संविदात्मक या वैधानिक दायित्वों के उल्लंघन की स्थिति में , वह इसके लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, ठेकेदार के कृत्यों के कारण किसी भी व्यक्ति, एजेंसी या सरकारी प्राधिकरण द्वारा संस्थान के खिलाफ शुरू की गई किसी भी कार्रवाई , दावे, नुकसान, मुकदमे की स्थिति में , ठेकेदार संस्थान को ऐसे दावों या नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी होगा । ठेकेदार के कृत्यों के परिणामस्वरूप , यदि संस्थान को किसी व्यक्ति , एजेंसी या सरकारी प्राधिकरण को किसी भी नुकसान का भुगतान करने की आवश्यकता होती है , तो ठेकेदार को संस्थान को ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता होगी या संस्थान के पास ऐसी राशि की वसूली का अधिकार सुरक्षित है। ठेकेदार को उसके बिलों का निपटान करते समय देय भुगतान से या संस्थान के पास पड़ी ठेकेदार की सुरक्षा जमा राशि से।
61. मेस कर्मियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को वर्दी के पर्याप्त सेट और जूते की जोड़ी प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे उन्हें हर समय पहनें और उन्हें ठीक से बनाए रखें।
62. अनुबंध की समाप्ति पर , ठेकेदार निफ्ट द्वारा प्रदान किए गए मेस फर्नीचर / फिक्स्चर / उपकरण आदि के साथ निफ्ट की वस्तुओं को वापस कर देगा।



63. ठेकेदार मेस परिसर का उपयोग किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं करेगा , सिवाय उस उद्देश्य के जिसके लिए इसे प्रदान किया गया है।
64. संस्थान की आधिकारिक बैठकों/सम्मेलन/आतिथ्य बिलों के संबंध में ठेकेदार द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत भुगतान रसीद के आधार पर जारी किया जाएगा। निफ्ट के नामित प्राधिकारी द्वारा उचित प्राधिकरण के बिना खान पदार्थों की किसी भी आपूर्ति के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा।
65. यदि ठेकेदार छात्र से अग्रिम लेता है तो यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि यदि छात्र छुट्टी के दौरान या उसकी छुट्टी अवधि के दौरान मेस सुविधा का लाभ नहीं उठाता है तो समायोजन/प्रतिपूर्ति करना होगा।
66. निफ्ट प्राधिकरण एक कैंटीन/मैस समिति का गठन करेगा जिसमें अधिकारी , संकाय, कर्मचारी और छात्र शामिल होंगे। ठेकेदार को मेनू , भोजन की आवृत्ति , भोजन की गुणवत्ता , स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवा और मेस के समय से संबंधित समिति के निर्देशों का पालन करना होगा ताकि छात्र समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
67. निविदाकार मेस में विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ , अल्पाहार और भोजनालयों को कैंटीन/मेस समिति द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित मूल्य/उद्धरणों पर उपलब्ध कराएगा। विफलता की स्थिति में , इन सभी मदों को वैकल्पिक व्यवस्था करके ठेकेदार के खाते की ओर से परोसा जाएगा।
68. शाकाहारियों और मांसाहारी दोनों के लिए खानपान सेवाओं में नवीन विविधता और संतुलित पोषण शामिल होना चाहिए। खानपान सेवाओं की आवश्यकता में शामिल हैं: (ए) हॉस्टलर्स और डे-स्कॉलर सहित सभी छात्रों के लिए चाय/कॉफी के साथ नाश्ता , दोपहर का भोजन और दोपहर का नाश्ता , (बी) हॉस्टलर्स के लिए डिनर , (सी) के छात्रों के लिए चाय/कॉफी के साथ दोपहर का नाश्ता शाम या सप्ताहांत की कक्षाओं में भाग लेने वाले अंशकालिक कार्यक्रम , (घ) अधिकारी / संकाय / कर्मचारियों को नाश्ता / दोपहर का भोजन आदि, जिन्हें ऐसी सेवाओं की आवश्यकता होती है।
69. मेस की सुविधा निफ्ट कैंटीन से ही उपलब्ध कराई जाएगी। तथापि , चिकित्सा कारणों से विक्रेता को छात्रावास में छात्र को नाश्ता/दोपहर का भोजन/रात्रिभोज भी उपलब्ध कराना होता है, यदि वार्डन इसकी सूचना देता है।
70. निविदाकर्ता दैनिक परोसी जाने वाली मेनू सूची को उचित रजिस्टर में बनाए रखेगा और इस प्रयोजन के लिए अधिकृत कैंटीन / मेस समिति के सदस्य द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है।
71. निफ्ट खानपान के उद्देश्य से मेस में कच्चे माल सहित कोई भी उपभोज्य या गैर-उपभोज्य वस्तु उपलब्ध नहीं कराएगा। ठेकेदार निफ्ट द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों को अच्छी काम करने की स्थिति में बनाए रखेगा (संलग्न सूची की सूची के अनुसार) और नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। वह सेवाओं में रुकावट से बचने के लिए बिना किसी देरी के मरम्मत करेगा और मरम्मत की लागत पूरी तरह से ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी। अनुबंध की समाप्ति पर , निविदाकर्ता ऐसे सभी उपकरण/वस्तुओं को अच्छी कार्यशील स्थिति में निफ्ट को वापस सौंप देगा।
72. निफ्ट प्रत्येक सेमेस्टर में सामान्य छुट्टियों और छात्रों की छुट्टियों की सूची निविदाकर्ता को प्रदान करेगा ताकि छुट्टियों और छुट्टियों के दौरान रहने वाले छात्रावासियों को खानपान सेवाएं प्रदान की जा सकें। मेस शुल्क का भुगतान तदनुसार किया जाएगा।
73. खानपान निविदाकार के लिए निम्नलिखित स्वच्छता और सफाई के उपाय करना अनिवार्य होगा: ( क) दिन में तीन बार रसोई क्षेत्र की सफाई, (ख) दिन के अंत में गर्म पानी में बर्तन भिगोना , (ग) क्राँकरी डिटर्जेंट का उपयोग करके गर्म पानी से धोना, (घ) रेफ्रिजरेटर और वाटर कूलर की पूरी तरह से सफाई , सप्ताह में एक बार , (ङ) कीटनाशकों का आवधिक छिड़काव, (च) भोजन की गुणवत्ता बनाए रखना ( छ) स्वास्थ्य और स्वच्छता के नवीनतम मानकों को बनाए रखना ( ज) दिन के अंत में डाइनिंग टेबल को डिटर्जेंट और पानी से साफ करना , (झ) दिन के अंत में डिटर्जेंट के साथ वॉश बेसिन की अच्छी तरह से सफाई करना। (ञ) कैंटीन के किचन एरिया के आउटलेट से जुड़े सेप्टिक टैंक की सफाई की जिम्मेदारी कैंटीन ठेकेदार की होगी। सेप्टिक टैंक की सही सफाई और सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि निर्धारित तिथि से पहले टैंक गंदा हो जाता है, तो इसे तुरंत साफ किया जा सकता है। निफ्ट इन सफाई और स्वच्छता उपायों के लिए कोई भुगतान नहीं करेगा। रसोई और सेवारत क्षेत्र में कूड़ेदान को कवर के साथ बनाए रखने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक भोजन के बाद इसे साफ किया जाता है , विफलता के मामले में , ठेकेदार बिहार खाद्य सुरक्षा नियम और अन्य विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा, यह सम्मान।



74. यदि कोई इन गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो निविदाकर्ता मेस और निफ्ट परिसर में कोई सिगरेट , बीड़ी, पान, शराब आदि नहीं बेचेगा ; व्यक्ति को तुरंत परिसर छोड़ने के लिए कहा जाएगा और निविदाकर्ता इस शर्त के उल्लंघन के लिए अनुबंध को खोने के लिए उत्तरदायी होगा।
75. निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि या तो वह स्वयं छात्रों के लिए नाश्ते/दोपहर के भोजन/रात्रिभोज सेवाओं के दौरान उपस्थित रहे या उनका कोई जिम्मेदार पर्यवेक्षक उपस्थित रहे।
76. निविदाकर्ता अपने उपकरण, कुकर, हॉट बॉक्स, स्टीम बॉक्स, ट्रॉली, डाइनिंग सेट, क्रॉकरी सेट, उपकरण, बर्तन, प्लेट, जग आदि पर्याप्त मात्रा में मेस सेवाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक के रूप में , इसके अलावा, लाएंगे। निफ्ट द्वारा क्या प्रदान किया जाता है।
77. निविदाकर्ता यह वचन देगा कि उसके कर्मचारियों द्वारा चोरी सहित किसी भी प्रकार की चूक या कमीशन का कार्य उसकी एकमात्र जिम्मेदारी होगी और आगे यह कि वह व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से अपने कर्मचारियों के कारण होने वाली किसी भी हानि या क्षति या चोरी के लिए संस्थान को तुरंत क्षतिपूर्ति करेगा।
78. निविदाकार को निफ्ट के साथ अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए एक समझौता करना होगा। इसे आवश्यकतानुसार चिपकने वाले टिकटों के साथ मुद्रित किया जाना चाहिए और बिना किसी असफलता के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या शांति के न्याय या नोटरी पब्लिक के सामने हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
79. गर्मी/शीतकालीन अवकाश के दौरान, निफ्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों को पूरा करने के लिए कैटरर कम से कम 5 कर्मचारी (02 रसोइया और वेटर) की प्रतिनियुक्ति करेगा।
80. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा निविदा खुलने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी।
81. निविदाकार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने कार्यस्थल पर जब भी आवश्यक हो , संकाय और कर्मचारियों को चाय/काँफी/कोल्ड ड्रिंक आदि परोसने की पर्याप्त व्यवस्था करेगा। निविदाकार को सरकारी बैठकों और सम्मेलनों में नाश्ता/चाय/काँफी/कोल्ड ड्रिंक आदि परोसने की व्यवस्था भी करनी होगी।
82. कैटरर सभी आधिकारिक बैठकों के लिए निफ्ट प्रबंधन को चाय/काँफी/भोजन परोसने के लिए कम से कम 4 दर्जन अच्छी गुणवत्ता, डाइनिंग और क्रॉकरी बनाए रखेगा। कैटरर को ऐसी बैठकों के दौरान कम से कम 2 वेटरों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए।
83. निफ्ट के गेस्ट हाउस में जब भी कोई आक्यूपेंसी होगी, कैटरर से एक व्यक्ति गेस्ट अटेंड करेगा।
84. निविदाकर्ता निफ्ट प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना मेस को बंद नहीं रखेगा। ऐसी किसी भी घटना को अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और दंड सहित उपयुक्त कार्रवाई निफ्ट द्वारा की जाएगी, जैसा कि वह उचित समझे।
85. व्यवस्थापक और शैक्षणिक ब्लॉकों में भोजन परोसने की सुविधा के लिए ठेकेदार पर्याप्त संख्या में कार्यकर्ता / कर्मचारी उपलब्ध कराएगा।
86. परिसर में विभिन्न बैठकों/कार्यों आदि को पूरा करने के लिए ठेकेदार पर्याप्त संख्या में कर्मचारी/कर्मचारी उपलब्ध कराएगा।
87. यदि निफ्ट प्रबंधन मेस/छात्रावास/परिसर में छात्रों को मिल्क पार्लर और फाउंड कियोस्क आदि जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है तो विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
88. जहां तक सामग्री और तैयारी की गुणवत्ता का संबंध है, निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: (ए) खाद्य सामग्री, एडिटिव्स और सामग्री बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम गुणवत्ता की होनी चाहिए , (बी) सब्जियां, ब्रेड, चिकन आदि और ऐसी अन्य खराब होने वाली वस्तुएं होनी चाहिए दैनिक आधार पर बाजार से ताजा खरीदा जाए, (ग) निविदाकर्ता सभी तैयारियों में स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए सावधानीपूर्वक देखभाल करेगा , (डी) मेस समिति द्वारा तय किए गए मेनू का हमेशा पालन किया जाना चाहिए। समिति के सदस्यों को किसी भी कार्य दिवस में किसी भी समय रसोई , सर्विस काउंटर और डाइनिंग हॉल का निरीक्षण करने की मुफ्त सुविधा होगी , और (e) कचरा और कचरा निपटान नियमित आधार पर दिन में तीन बार किया जाना चाहिए।
89. संस्थान के पास ठेकेदार या उसके कर्मचारियों द्वारा या किसी भी मिलावट के लिए जानबूझकर या अन्यथा गुणवत्ता और सेवाओं को बनाए रखने में किसी भी गंभीर चूक के लिए ठेकेदार पर जुर्माना (निफ्ट अधिकारियों द्वारा तय किया जाना) लगाने का अधिकार सुरक्षित है।



90. यदि संस्थान परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता , प्रदान की गई सेवाओं या ठेकेदार या उसके कर्मचारियों के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, तो ठेकेदार को दोष को सुधारने या सुधारने के लिए 24 घंटे का नोटिस दिया जाएगा , ऐसा न करने पर निफ्ट उचित समझे जाने पर उचित आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।
91. खाना पकाने के लिए प्रयुक्त कच्चे माल की किसी भी समय मेस समिति द्वारा जाँच की जा सकती है और यदि घटिया/अनधिकृत सामग्री पाई जाती है और तीन प्रतिकूल नोटिस जारी करने के बाद , इसे अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और निदेशक पटना द्वारा अनुबंध की समीक्षा की जा सकती है। ठेकेदार को निफ्ट पटना के निदेशक के निर्णय का पालन करना होगा।

### (VIII) जुर्माना

मेस/कैंटीन समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन करने पर कैटरर पर जुर्माना लगाया जायेगा।

1. काउंटर पर शिकायत रजिस्टर न होने/शिकायत दर्ज करने से छात्रों को हतोत्साहित करने पर रु. 5,000/- , किसी भी खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले भोजन के साथ पकाए गए कीड़े और/या अशुद्ध वर्तनों की ३ या अधिक शिकायतों पर रुपये 10,000/- का जुर्माना लगाया जाएगा।
2. खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की कैंटीन / मेस समिति द्वारा किसी भी समय जाँच की जा सकती है और यदि घटिया / अनधिकृत सामग्री पाई जाती है , तो ठेकेदार को निफ्ट के विवेक पर दंडित किया जाएगा और ठेकेदार को इसका पालन करना होगा। जुर्माने में कम से कम 5,000/- रुपये शामिल होंगे।
3. किसी भी भोजन के लिए भोजन मेस के समय के भीतर समाप्त हो जाता है और प्रतीक्षा समय दोपहर और रात के खाने के लिए 15 मिनट से अधिक और नाश्ते के 10 मिनट से अधिक है तो रुपये का जुर्माना 5,000/- कैटरर पर लगाया जाएगा। उस भोजन का समय विलंब के समय के बराबर बढ़ाया जाएगा।
4. मेस/कैंटीन समिति की अनुमति के बिना किसी भी भोजन के मेनू में परिवर्तन करने पर रु. 5,000/- कैटरर पर।
5. किसी भी विसंगति पर (श्रमिकों की व्यक्तिगत स्वच्छता, श्रमिकों द्वारा दुर्व्यवहार आदि) प्रत्येक उदाहरण के लिए कैटरर पर 10,000/-रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा ।
6. समझौते में बताए गए किसी भी नियम के लिए,
  - नियम के पहले उल्लंघन का मतलब नियम के अनुसार जुर्माना है।
  - पिछले जुर्माने के 30 दिनों के भीतर उसी नियम का दूसरा और बाद में उल्लंघन करने पर कैटरर पर जुर्माने की प्रारंभिक राशि का तिगुना लगेगा।
8. स्वच्छता की विफलता की गंभीरता का मूल्यांकन मेस द्वारा किया जाएगा और उचित रूप से जुर्माना लगाया जाएगा। सकल विफलता/लापरवाही के मामले में एक गंभीर जुर्माना लगाया जाएगा, जो नकद और/या अनुबंध की समाप्ति के रूप में भारी जुर्माना हो सकता है।
9. निफ्ट से सूचना प्राप्त होने पर एक सप्ताह के भीतर ठेकेदार द्वारा जुर्माने का भुगतान करना होगा, ऐसा न करने पर इसे मासिक बिल, यदि कोई हो या सुरक्षा जमा के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर  
(एजेंसी की मुहर के साथ निविदाकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर)



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना  
कार्य का नाम : निफ्ट मेस/कैंटीन चलाने के लिए पटना

तकनीकी बोली

(तकनीकी बोली को अलग सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए और उस पर "तकनीकी बोली" लिखा होना चाहिए)

(क)

क्र.सं.	विवरण	बोलीदाता द्वारा भरा जाने वाला
1	निविदाकर्ता का नाम	
2	निविदा दस्तावेज लागत का विवरण	रुपया ..... ड्राफ्ट नं०- जारीकर्ता बैंक
3	ई.एम.डी. का विवरण	रुपया ..... ड्राफ्ट नं०- जारीकर्ता बैंक

(ख). संबंधित क्षेत्र में अनुभव का विवरण, कम से कम पिछले तीन वर्षों के संगठनों से अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न करें:

क्र.सं.	अवधि		संगठन/ एजेंसी	ग्राहकों की अनुमानित संख्या को संभाला/संभाला जा रहा है**
	से	तक		

\*\* संबंधित एजेंसी से प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा

निविदादाता के हस्ताक्षर और तारीख के साथ रबर स्टाम्प



(ग)

क्रम सं०	विवरण	'हां' या 'नहीं' का उल्लेख करें	पृष्ठ सं०
1.	क्या 'तकनीकी' और 'वित्तीय' बोलियां अलग-अलग जमा की गई हैं और संबंधित लिफाफों पर ठीक से लिखा हुआ है।		
2.	जीएसटी के तहत पंजीकरण (प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए)/यदि लागू हो तो दस्तावेज की प्रति संलग्न की जाए।		
3.	क्या एफएसएसएआई के साथ मेस/कैंटीन प्रतिष्ठान के रूप में पंजीकृत है एफएसएसएआई प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की जाए।		
4.	दुकान और स्थापना अधिनियम के साथ पंजीकरण और वैध लाइसेंस। (प्रति संलग्न करें)		
5.	पिछले तीन वर्षों के मेस/कैंटीन चलाने के लिए प्रति शैक्षणिक संस्थान/या उससे ऊपर के लगभग 300 व्यक्तियों का न्यूनतम अनुभव प्रमाण पत्र 1. कार्य आदेश की प्रति संलग्न करें और 2. संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।		
6.	ठेकेदार का टर्नओवर पिछले तीन वर्षों में 05 करोड़ रुपये का होना चाहिए। (कृपया लेखा परीक्षित/अलेखापरीक्षित बैलेंस शीट (वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 सीए द्वारा विधिवत सत्यापित) संलग्न करें।		
7.	पिछले तीन वर्षों के आईटीआर की प्रति (अर्थात वित्तीय वर्ष 2017-18 के बाद से) संलग्न करें।		
8.	क्या फर्म/कंपनी को कभी किसी सरकारी/गैर सरकारी द्वारा काली सूची में डाला गया है। एजेंसी। (उपबंध 'ए-V संलग्न किया जाए)		
9.	पैन कार्ड की कॉपी		
10.	क्या कार्यदेश स्वीकार करने पर मेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक क्रॉकरी, बर्तन, कटलरी डाइनिंग सेट आदि की व्यवस्था 15 दिन के अंदर करने के लिए सहमत और सक्षम हैं।		
11.	क्या इस निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।		
12.	कृपया निर्दिष्ट करें कि क्या निविदाकर्ता एकमात्र मालिक / प्राइवेट लिमिटेड/साझेदारी फर्म है। (इस मामले में भागीदार का नाम निर्दिष्ट किया जाना चाहिए)। खंड-(VII) 16 के अनुसार साझेदारी/कंपनी आदि का विवरण अलग से संलग्न करें। (प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न किया जाए)		



13.	क्या सभी कर्मचारियों को केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए सहमत है और सभी को ईपीएफ / ईएसआईसी के तहत कवर किया जाना चाहिए (पंजीकरण प्रति संलग्न की जाए)।		
14.	नियम और शर्त की स्वीकृति के प्रमाण में, नियम और शर्त की प्रति और फर्म की मुहर के साथ विधिवत हस्ताक्षरित निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर।		

**नोट: (1) एफएसएसएआई प्रमाणपत्रों की प्रासंगिक श्रेणी के बिना ठेकेदार को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।**

निविदादाता के हस्ताक्षर और तारीख के साथ रबर स्टाम्प



## वचन पत्र

मैं, श्री

.....  
एतद्वारा उपरोक्त वर्णित नियमों और शर्तों और दरों का पालन करने के लिए सत्यनिष्ठा से सहमत हूँ। क्लॉज/क्लॉज का कोई भी ब्रेक मेरा अनुबंध शून्य और व्यर्थ कर देगा। मैं इस निविदा दस्तावेज और उसके नियमों और शर्तों के बारे में पूरी तरह से समझ गया हूँ। मैं यह भी समझ गया हूँ कि मुझे निविदा के साथ वस्तुओं की दर सूची में उल्लिखित सभी खाद्य पदार्थों के उच्च स्तर, गुणवत्ता और स्वच्छता को बनाए रखना है।

दिनांक :

ठेकेदार के हस्ताक्षर

ठेकेदार का नाम \_\_\_\_\_

(एजेंसी की मुहर के साथ निविदाकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर)





सेवा,  
निर्देशक महोदय  
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान  
निफ्ट कैंपस, मीठापुर फार्म  
पटना

आपके निविदा संख्या ..... के सन्दर्भ में।

सर/मैडम,

1. मैं/हम अधोहस्ताक्षरी (इसके बाद "ठेकेदार" के रूप में जाने जाते हैं) एतद्वारा मीठापुर फार्म में निफ्ट पटना में मेस चलाने के लिए अनुबंध देने के लिए आवेदन करते हैं।
2. मैंने/हमने संदर्भाधीन विषय के लिए निविदा आमंत्रित करने के आपके नोटिस में आपके द्वारा सूचीबद्ध सभी नियमों और शर्तों और मदों की अनुसूची को भी पढ़ लिया है।
3. मैं/हम, एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि हम सभी नियमों और शर्तों को समझ गए हैं और उनका पालन करने के लिए मेरी/हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। अनुसूची में किसी भी विसंगति/विवाद या गलत/गलत नामकरण के मामले में , निफ्ट का निर्णय अंतिम होगा।
4. मैं/हम संदर्भ के तहत आपकी 'निविदा आमंत्रण सूचना' के साथ मदों की अनुसूची में सूचीबद्ध सामग्री प्रदान करने के लिए मेरी/हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।
5. प्रत्येक सुबह किसी भी वस्तु को परोसने से पहले सभी बर्तनों को कीटाणुरहित कर देना चाहिए।

(I)	
(II)	
(III)	

6. मैं/हम इसके साथ ..... के प्रिंसिपल/निदेशक/प्रबंधक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करते हैं।
7. मैं/हम इसके साथ एक डीडी संलग्न... कर रहे हैं , जिस पर सं..... दिनांक ..... बैंक .....। शाखा ..... रुपये के लिए। 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) " राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना" के पक्ष में "पटना" में ईएमडी के रूप में देया। मैं/हम समझते हैं कि यदि ठेका देने वाला आवेदक ठेके को स्वीकार करने से इंकार करता है तो राशि जब्त कर ली जाएगी।
8. मैं/हम समझते हैं कि मुझे/हमें रुपये की सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। 5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) "अनुबंध" पर हस्ताक्षर करने से पहले निफ्ट, पटना के पक्ष में वापसी योग्य सुरक्षा जमा के रूप में , यदि मुझे/हमें अनुबंध दिया जाता है। इस जमा पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और देय राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद अनुबंध की समाप्ति पर वापस किया जाएगा।
9. यदि मुझे/हमें अनुबंध दिया जाता है, तो मैं/हम अनुबंध प्रदान करने वाले पत्र की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर (निर्धारित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर) एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर  
रबड़ स्टाम्प के साथ दिनांक और दिनांक



## वचन देना

मैं/हम .....एस/ओ .....आर/ओ .....

(स्थानीय पता स्थायी पता) सत्यनिष्ठा से कहता है कि मुझे/हमें अब तक किसी भी संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।  
/कार्यालय जिनमें मैंने/हमने काम किया है/मेस चलाते हैं।  
इस दिन की तारीख

ठेकेदार के हस्ताक्षर

(एजेंसी की मुहर के साथ निविदाकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर)

तारीख:

जगह:



**उपभोग्य सामग्रियों के अनुमेय ब्रांड**

आइटम्स	ब्रांड
नमक	आयोडीनयुक्त नमक जैसे टाटा, अन्नपूर्णा, नेचर फ्रेश
मसाले	एमडीएच, एवरेस्ट, एमटीआर।
सॉस	मैगी, किसान, हेंज, Chings।
परिशुद्ध तेल	सफोला, सन ड्रॉप, धरा।
सरसों का तेल	इंजन, नेचर फ्रेश, पतंजलि, धारा
अचार	मदर्स / टॉप्स/नीलोन्स
आटा	आशीर्वाद, पिल्सबरी, नेचर फ्रेश/शक्ति भोग
मक्खन	अमूल, सुधा, ब्रिटानिया, मदर डेयरी।
रोटी	हार्वेस्ट/ब्रिटानिया मेक / टॉप एंड टाउन / मॉडर्न / एवोन
जाम	किसान नेफेड
दूध	सुधा / अमूल / मदर डेयरी।
पनीर	अमूल/सुधा/मदर डेयरी।
चाय	ब्रुक बॉन्ड, लिफ्टन, टाटा
कॉफी	नेस्कैफे, रिच, ब्रू
बिस्कुट	ब्रिटानिया, पार्ले, गुड डे आदि।
आइसक्रीम, लस्सी, दही	मदर डेयरी, सुधा, अमूल, क्वालिटी, क्रीम बेल, वडीलाल
मिश्रण/चिप्स	हल्दीराम/बीकानेर या कोई अच्छा ब्रांड
मिनरल वॉटर	किनले/बिसलेरी/एक्वाफिना
बेसन, डाली	राजधानी, शक्तिभोग या एगमार्क ब्रांड
चावल	बासमती, इंडिया गेट या एगमार्क ब्रांड



शीत पेय	पेप्सी, कोक, थम्प्स अप या कोई अच्छा ब्रांड आदि।
रस	रियल, ट्रॉपिकाना आदि
नींबू पानी	नींबू, किसान, नमस्कार आदि

**नोट: - यदि ठेकेदार किसी अन्य ब्रांड का उपयोग करना चाहता है तो उसे निफ्ट पटना के सक्षम प्राधिकारी से पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।**

ठेकेदार के हस्ताक्षर  
(एजेंसी की मुहर के साथ निविदाकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर)



## कार्य का नाम : निफ्ट स्टूडेंट मेस/कैंटीन पटना चलाने के लिए।

(१) फर्म / मालिक का नाम: .....

ठेकेदार को प्रति माह लागू दरों के अनुसार न्यूनतम आधार रखरखाव शुल्क 20,000/- (केवल बीस हजार रुपये) + जीएसटी का भुगतान करना होगा। प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में निफ्ट पटना के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से। बिजली की वास्तविक खपत का भुगतान ठेकेदार द्वारा मासिक मीटर रीडिंग के आधार पर अलग से किया जाएगा।

(२) परोसे जाने वाली वस्तुओं की विविधता को दर्शाने वाला अस्थायी मेनू निम्नानुसार होगा, हालांकि, कैंटीन / मेस समिति या निफ्ट प्रशासन द्वारा वांछित मेनू को बदला जा सकता है और इसकी सूचना दी जाएगी।

दिन	Break Fast (07:30 AM – 08:45 AM) To be served at counter	Lunch (12:00 noon – 02:00 PM)	Snacks (04:00PM – 06:00PM)	Dinner (7:30PM – 9:30 PM)
सोमवार	<ul style="list-style-type: none"> <li>ब्रेड- मक्खन/जैम, अंडे, दूध के साथ कॉर्न फ्लेक्स, फल/अंकुरित</li> <li>पराठा / भरवां पराठा</li> <li>चाय कॉफी</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ग्रेवी के साथ मौसमी सब्जी,</li> <li>दाल/राजमा/छोले/कड़ी</li> <li>सूखी सब्जी/भाजी</li> <li>चावल</li> <li>चपाती / पराठा / नान</li> <li>दही/बटर मिल्क/बूंदी रायता/सब्जी रायता-</li> <li>सलाद, पापड़/अचार।</li> </ul>	समोसा + चाय/कॉफी	<ul style="list-style-type: none"> <li>ग्रेवी के साथ सब्जी।</li> <li>सूखी सब्जी/भाजी</li> <li>दाल।</li> <li>दही/बटर मिल्क/बूंदी रायता/सब्जी रायता।</li> <li>सलाद, पापड़/अचार।</li> <li>मिठाइयाँ</li> <li>चावल</li> <li>चपाती / पराठा / नान</li> </ul>
मंगलवार	<ul style="list-style-type: none"> <li>ब्रेड- मक्खन/जैम, अंडे, दूध के साथ कॉर्न फ्लेक्स, फल/अंकुरित</li> <li>सब्जी, पूरी</li> <li>चाय कॉफी</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ग्रेवी के साथ मौसमी सब्जी,</li> <li>दाल/राजमा/छोले/कड़ी</li> <li>सूखी सब्जी/भाजी</li> <li>चावल</li> <li>चपाती / पराठा / नान</li> <li>दही/बटर मिल्क/बूंदी रायता/सब्जी रायता-</li> <li>सलाद, पापड़/अचार।</li> </ul>	ब्रेड पोकेरा + चाय/कॉफी	<ul style="list-style-type: none"> <li>ग्रेवी के साथ सब्जी,</li> <li>सूखी सब्जी/भाजी</li> <li>दाल।</li> <li>दही/बटर मिल्क/बूंदी रायता/सब्जी रायता-</li> <li>सलाद, पापड़/अचार।</li> <li>मिठाइयाँ</li> <li>चावल</li> <li>चपाती / पराठा / नान</li> </ul>
बुधवार	<ul style="list-style-type: none"> <li>ब्रेड- मक्खन/जैम, अंडे, दूध के साथ कॉर्न फ्लेक्स, फल/अंकुरित</li> <li>इडली, सांभरी</li> <li>चाय कॉफी</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ग्रेवी के साथ मौसमी सब्जी,</li> <li>दाल/राजमा/छोले/कड़ी</li> <li>सूखी सब्जी/भाजी</li> <li>चावल</li> <li>चपाती / पराठा / नान</li> <li>दही/बटर मिल्क/बूंदी रायता/सब्जी रायता-</li> <li>सलाद, पापड़/अचार।</li> </ul>	पास्ता/सैंडविच + चाय/कॉफी	<ul style="list-style-type: none"> <li>मांसाहारी/पनीर/सब्जी के साथ सब्जी</li> <li>सूखी सब्जी/भाजी</li> <li>दही/बटर मिल्क/बूंदी रायता/सब्जी रायता।</li> <li>सलाद, पापड़/अचार।</li> <li>मिठाइयाँ</li> <li>चावल / फ्राइड राइस / पुलाव</li> <li>चपाती / पराठा / नान</li> </ul>



वृहस्प तिवार	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ब्रेड- मक्खन/जैम के साथ, अंडे, दूध के साथ कॉर्न फ्लेक्स, फल/अंकुरित</li> <li>• आलू / कोभी पराठा चाय कॉफी</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ग्रेवी के साथ मौसमी सब्जी,</li> <li>• दाल/राजमा/छोले/कड़ी</li> <li>• सूखी सब्जी/भाजी</li> <li>• चावल</li> <li>• चपाती / पराठा / नान</li> <li>• दही/बटर मिल्क/बूंदी रायता/सब्जी रायता-</li> <li>• सलाद, पापड़/अचार।</li> </ul>	चाउमिन/समोसा + चाय/कॉफी	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ग्रेवी वाली सब्जी</li> <li>• सूखी सब्जी/भाजी</li> <li>• दाल।</li> <li>• दही / मक्खन दूध / बूंदी रायता / सब्जियों का रायता</li> <li>• सलाद, पापड़/अचार।</li> <li>• मिठाइयाँ</li> <li>• चावल</li> <li>• चपाती / पराठा / नान</li> </ul>
शुक्रवार	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ब्रेड- मक्खन/जैम के साथ, अंडे, दूध के साथ कॉर्न फ्लेक्स, फल/अंकुरित</li> <li>• वड़ा सांभरी</li> <li>• चाय कॉफी</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ग्रेवी के साथ मौसमी सब्जी,</li> <li>• दाल/राजमा/छोले/कड़ी</li> <li>• सूखी सब्जी/भाजी</li> <li>• चावल</li> <li>• चपाती / पराठा / नान</li> <li>• दही/बटर मिल्क/बूंदी रायता/सब्जी रायता-</li> <li>• सलाद, पापड़/अचार।</li> </ul>	टिक्की चाट + चाय/कॉफी	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ग्रेवी के साथ मांसाहारी/पनीर/सब्जी।</li> <li>• सूखी सब्जी/भाजी।</li> <li>• दही/बटर मिल्क/बूंदी रायता/सब्जी रायता।</li> <li>• सलाद, पापड़/अचार।</li> <li>• मिठाइयाँ</li> <li>• चपाती / पराठा / नान</li> <li>• फ्राइड राइस/पुलाव/मिश्रित चावल</li> </ul>
शनिवा र	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ब्रेड- मक्खन/जैम, अंडे, दूध के साथ कॉर्न फ्लेक्स, फल/अंकुरित</li> <li>• छोले</li> <li>• भटूराय</li> <li>• चाय कॉफी</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• खिचड़ी</li> <li>• चोखा, चाटनी</li> <li>• दही/बूंदी रायता/सब्जी रायता-</li> <li>• सलाद, पापड़, अचार।</li> </ul>	शाकाहारी पोकोड़ा + चाय/कॉफी	<ul style="list-style-type: none"> <li>• फ्राइड राइस/पुलाव/मिश्रित चावल।</li> <li>• ग्रेवी के साथ मंचूरियन</li> <li>• सलाद, पापड़/अचार।</li> <li>• दही/बटर मिल्क/बूंदी रायता/सब्जी रायता।</li> <li>• मिठाइयाँ</li> <li>• चपाती / पराठा / नान</li> </ul>
रविवा र	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ब्रेड- मक्खन/जैम, अंडे, दूध के साथ कॉर्न फ्लेक्स, फल/अंकुरित</li> <li>• मसाला डोसा</li> <li>• चाय कॉफी</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ग्रेवी के साथ मौसमी सब्जी,</li> <li>• दाल/राजमा/छोले/कड़ी</li> <li>• सूखी सब्जी/भाजी</li> <li>• चावल</li> <li>• चपाती / पराठा / नान</li> <li>• दही/बटर मिल्क/बूंदी रायता/सब्जी रायता-</li> <li>• सलाद, पापड़/अचार।</li> </ul>	वेज रोल+ चाय/कॉफी	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मांसाहारी/पनीर/सब्जी ग्रेवी के साथ,</li> <li>• सूखी सब्जी/भाजी</li> <li>• दही/बटर मिल्क/बूंदी रायता/सब्जी रायता-</li> <li>• सलाद, पापड़/अचार।</li> <li>• मिठाइयाँ</li> <li>• चपाती / पराठा / नान</li> <li>• फ्राइड राइस/पुलाव/मिश्रित चावल</li> </ul>

**कृपया ध्यान दें**

- नाश्ते में दो किस्मों को दैनिक आधार पर बनाए रखना होता है।
- लंच और डिनर में वैरायटी रखनी होती है।
- दाल में मलका, अरहर, उड़द, चना, राजमा, काला चना, छोले या एक से अधिक दाल/दाल का मिश्रण होगा।
- दोपहर के भोजन में परोसी जाने वाली दाल और सब्जियां रात के खाने में एक जैसी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार लगातार दो दिन दाल और सब्जी नहीं परोसी जानी चाहिए।
- नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना छात्रों/कर्मचारियों को असीमित मात्रा में परोसा जाना चाहिए।



क्र.सं.	भोजन में परोसी जाने वाली वस्तु	मात्रा
1	रोटी (तवा रोटी / मक्खन रोटी / नान / तंदूरी रोटी)	असीमित
2	सब्जी (मौसमी/बीन्स/पलक/नाशपाती/सब्जी कोफता/पदार्थ पनीर)	
3	सब्जी सूखी / भजी	
4	दाल (राजमा/कढ़ी/मिक्स दाल/अरहर/चना दाल)	
5	चावल (सादा चावल/तले हुए चावल/मिश्रित चावल/पुलाव)	
6	दही/बटर मिल्क/बूंदी रायता/सब्जी रायता	100 मिली.
7	दूध	200 मिली.

मैं भोजन और शाम के जलपान के उपरोक्त वर्णित प्रावधान से सहमत हूँ तथा मैंने मेनू में ब्रेक फास्ट, लंच, शाम के नाश्ते और चाय और रात के खाने के लिए सूचीबद्ध वस्तुओं को भी समझ लिया है और मैं निविदा में उल्लिखित मात्रा और गुणवत्ता के अनुसार भोजन प्रदान करने में सक्षम हूँ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर  
(एजेंसी की मुहर के साथ निविदाकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर)



वित्तीय बोली

उपरोक्त के अतिरिक्त, ठेकेदार द्वारा कुछ अन्य मदों की भी बोली लगाई जा सकती है। (जब और जब आवश्यक हो) इन वस्तुओं की आपूर्ति विशिष्ट आदेश के रूप में की जानी चाहिए।

क्र.सं.	विवरण	अधिकतम दरें निश्चित (जीएसटी सहित) (रुपये में)	निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दरें (जीएसटी सहित) (रुपये में) जो निर्धारित अधिकतम दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
1.	<p><b>चाय के साथ पेट भर नाश्ता</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• भुना हुआ काजू (25 ग्राम)</li> <li>• 2 पीस गुलाबजामुन/रसगुल्ला/2 काजू बर्फी</li> <li>• पकोड़ा (पनीर/गोभी/सब्जी आदि)/समोसा/कचौरी/सैंडविच/बर्गर</li> <li>• पेस्ट्री (ब्लैकफ्रैस्ट/चाँकलेट/वेनिला/स्ट्रॉबेरी)</li> <li>• वेफर्स (चाचा चिप्स, लेज़ आदि)</li> <li>• जूस/चाय/काँफी</li> <li>• मिश्रित बिस्कुट</li> </ul>	150	
2.	<p><b>नाश्ता</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• पकोड़ा (पनीर/गोभी/सब्जी आदि)/समोसा/कचौरी/सैंडविच/बर्गर</li> <li>• वेफर्स (चाचा चिप्स, लेज़ आदि)</li> <li>• चाय/काँफी/शीतल पेय</li> <li>• मिश्रित बिस्कुट</li> </ul>	40	
3.	<p><b>शाकाहारी लंच/डिनर (बुफे) (असीमित)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• दो सब्जियां (एक मौसमी सब्जी और एक शाही पनीर/मलाई कोफ्ता/मशरूम/पनीर मटर आदि)</li> <li>• सूखी सब्जी</li> <li>• दाल</li> <li>• पुलाव/जीरा चावल, तले हुए चावल/मिश्रित चावल/सादा बासमती चावल।</li> <li>• चपाती/तंदूरी रोटी/नान/पुरी/</li> <li>• सलाद</li> <li>• पापड़</li> <li>• अचार</li> <li>• रायता/सादा दही/दही भल्ला</li> <li>• स्वीट डिश/आइसक्रीम (ब्रांडेड)</li> <li>• मिनरल वाटर की बोतल</li> </ul>	220	





4.	<p><b>मांसाहारी दोपहर का भोजन / रात का खाना (बुफे) (असीमित)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• एक मौसमी सब्जी।</li><li>• सूखी सब्जी।</li><li>• चिकन/मटन/मछली सूखी या ग्रेवी के साथ।</li><li>• दाल</li><li>• पुलाव/जीरा चावल, तले हुए चावल/मिश्रित चावल/सादा बासमती चावल।</li><li>• चपाती/तंदूरी रोटी/नान/पुरी/</li><li>•सलाद</li><li>• पापड़</li><li>• अचार</li><li>• रायता/सादा दही/दही भल्ला</li><li>• स्वीट डिश/आइसक्रीम (ब्रांडेड)</li><li>•मिनरल वाटर की बोतल</li></ul>	250	
<b>विशेष अवसर पर लंच/डिनर (बुफे)(असीमित)</b>			
5.	<p><b>विशेष शाकाहारी लंच/डिनर (बुफे) (असीमित)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• सूप स्टिक के साथ सूप।</li><li>• दो सब्जियां (एक मौसमी सब्जी और सूचीबद्ध वस्तुओं में से एक वस्तु। शाही पनीर/मलाई कोफ्ता/मशरूम/पनीर मटर आदि।</li><li>• सूखी सब्जी</li><li>• दाल</li><li>• पुलाव/जीरा चावल/फ्राइड चावल/मिश्रित चावल/सादा बासमती चावल।</li><li>• चपाती/तंदूरी रोटी/नान/पुरी/</li><li>• हरी सलाद</li><li>• पापड़</li><li>• अचार (ब्रांडेड पाउच)।</li><li>• रायता/सादा दही/दही भल्ला</li><li>• दो मीठे व्यंजन और आइसक्रीम (ब्रांडेड)</li><li>• मिनरल वाटर की बोतल</li><li>• जीरा/नींबू पानी।</li></ul>	320	



6.	<p><b>विशेष मांसाहारी दोपहर का भोजन / रात का खाना (बुफे) (असीमित)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• सूप स्टिक के साथ सूप</li><li>• एक मौसमी सब्जी</li><li>• चिकन/मटन/मछली सूखी या ग्रेवी के साथ।</li><li>• सूखी सब्जी।</li><li>• दाल</li><li>• पुलाव/जीरा चावल, तले हुए चावल/मिश्रित चावल/सादा बासमती चावल।</li><li>• चपाती/तंदूरी रोटी/नान/पुरी/</li><li>• हरी सलाद</li><li>• पापड़</li><li>• अचार (ब्रांडेड पाउच)।</li><li>• रायता/सादा दही/दही भल्ला</li><li>• दो स्वीट डिश और आइसक्रीम (ब्रांडेड)</li><li>• मिनरल वाटर की बोतल</li></ul>	350	
----	--	-----	--

नोट: अनुलग्नक बी-II में मदों की दरें निर्धारित अधिकतम दरों से अधिक नहीं हो सकती हैं। पैकेज्ड सामान एमआरपी से ज्यादा नहीं बेचा जाना चाहिए। यदि कोई बोलीदाता अधिक राशि उद्धृत कर रहा है, तो ऊपर के रूप में निर्धारित दरें मान्य होंगी। साथ ही, विक्रेता प्लास्टिक के उपयोग से बचने के लिए पुनः उपयोग योग्य / पुनः प्रयोज्य प्लेट और कप का उपयोग करेंगे। ऊपर बताई गई वस्तुएँ केवल कैंटीन में ही बिकेंगी। किसी भी वस्तु की बिक्री की अनुमति निफ्ट पटना के अनुमोदन से ही दी जाएगी। अनुबंध बी-II में उद्धृत दरों का वित्तीय बोली तय करने में कोई असर नहीं होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर  
&रबर स्टाम्प के साथ दिनांक



### वित्तीय बोली

वित्तीय बोली भरने से पहले बोलीदाता यह नोट कर लें कि विक्रेता का चयन निम्नलिखित के आधार पर किया जाएगा:

1. यह कि विक्रेता अनुबंध "बी" में दी गई बांछित वस्तुओं को प्रदान करने के लिए सहमत है।
2. यह कि विक्रेता मेस/कैंटीन सुविधाएं और निविदा में सूचीबद्ध वस्तुओं (अनुलग्नक-बी -II) प्रदान करने के लिए सहमत है।
3. कि विक्रेता अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय दरों में वृद्धि नहीं करेगा (उनके संशोधन पर एमआरपी मदों के मामले को छोड़कर)।
4. कि विक्रेता खपत के आधार पर बिजली शुल्क वहन करने के लिए तैयार है।
5. विक्रेता मेस/कैंटीन परिसरों के लिए निफ्ट द्वारा निर्धारित न्यूनतम रखरखाव शुल्क अर्थात रु. 20,000/- प्लस जीएसटी क्रमशः

मैंने/हमने निविदा दस्तावेजों के सभी नियमों और शर्तों के साथ-साथ तकनीकी बोलियों की शर्तों को पढ़ लिया है और स्वीकार करने के लिए सहमत हैं और इसके द्वारा संलग्नक "बी-1" में वस्तुओं के अनुसार छात्रावासों के लिए प्रति छात्र प्रति माह निम्नलिखित दरों को जीएसटी सहित उद्धृत किया गया है।

	अमाउंट (अंक में)	अमाउंट(शब्दों में)
सकल राशि		
जीएसटी @		
कुल (जीएसटी सहित)		

नोट: निर्धारित प्रारूप और पृष्ठ में दरों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

यदि अंकों और शब्दों में उद्धृत दरों के बीच कोई भिन्नता है, तो दोनों में से उच्चतम मूल्य पर विचार किया जाएगा।

विक्रेता का चयन तकनीकी मानदंड की योग्यता के आधार पर किया जाएगा और सामान्य रूप से निविदा की सभी शर्तों और वित्तीय बोली की सभी शर्तों को विशेष रूप से एल 1 दरों की स्वीकृति पर और यदि दरें टाई हैं तो सक्षम प्राधिकारी साख और अनुभव के आधार पर निर्णय ले सकता है।

बोलीदाता द्वारा घोषणा:

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने इस निविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले इसमें निहित सभी नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर  
रबड़ स्टाम्प के साथ दिनांक और दिनांक